

नियमों और शर्तों

यह दस्तावेज उन सभी नियमों और शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है जो सभी खातों पर लागू होंगे, चाहे मौजूदा हों या भविष्य में इविक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक (बैंक / ESFB) के साथ, खोले जा सकते हैं। मैं, मुझे, मेरा और ग्राहक शब्द खाता खोलने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को संदर्भित करते हैं और इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों रूप शामिल होंगे। पुलिंग के संदर्भों में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी शामिल होंगे। शब्द "बैंक" इविक्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को संदर्भित करता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौड़ी मंजिला, चरण II, स्पेंसर प्लाजा, नंबर 769, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत, 600002 में स्थित है।

1. साधारण - सभी सेवाओं पर लागू

1.1 मैं वर्तमान में लग बैंक के नियमों और शर्तों और नियमों का पालन करने के साथ-साथ समय-समय पर मेरे खाते से संबंधित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए सहमत हूँ, जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर सूचित किया गया है और उपलब्ध कराया गया है।

1.2 मैं सहमत हूँ कि खाता खोलना और उसका रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रचलित या संशोधित नियमों और विनियमों के अधीन है।

1.3 मैं सहमत हूँ कि कोई भी जमा खाता खोलने से पहले बैंक अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित सावधानी बरतेंगे। मुझे आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण जमा करने होंगे, जैसे पहचान पत्र, पता, फोटोग्राफ, और KYC, AML या अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

इसके अलावा, खाता खोलने के बाद, मैं बैंक द्वारा अपेक्षित समय-समय पर, मौजूदा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, उपरोक्त दस्तावेजों को फिर से जमा करने के लिए सहमत हूँ।

1.4 मैं सहमत हूँ कि, सामान्य परिस्थितियों में, बैंक को कम से कम 30 दिनों का नोटिस प्रदान करने के लिए किसी भी समय मेरा खाता बंद करने का अधिकार है।

1.5 मैं सहमत हूँ कि बैंक मेरे खाते में प्रदान की गई किसी भी सेवा या सुविधाओं को अपने विवेकाधिकार पर पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी समय हो सकता है, बशर्ते कि मुझे कम से कम 30 दिनों का नोटिस दिया जाए और/या वैकल्पिक सेवाओं या सुविधाओं पर स्थित करने का विकल्प दिया जाए।

1.6 मैं अपने खाते की स्थिति या पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करने के लिए सहमत हूँ और ऐसा न करने पर संचार / डिलीवरेबल्स की किसी भी गैर-प्रति या मेरे पुराने पते पर उनके डिलीवर होने के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा।

1.7 मैं अपनी चेक बुक / डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए सहमत हूँ। इसके खोले / चोरी होने की स्थिति में, मैं तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करूंगा।

1.7.1 यदि खाता खोलने के समय/बाद मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होता है (जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वार्षिक आय/टर्नओवर, आदि) तो आपसे अनुरोध है कि बैंक रिपोर्ट में अपडेट करने के लिए 30 दिनों के भीतर बैंक को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।

1.8 मैं बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अपने खाते में न्यूनतम / औसत शेष राशि बनाए रखने के लिए सहमत हूँ, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

1.9 मैं सहमत हूँ कि मैं सभी लागू शुल्कों, फीस, ब्याज और लागतों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा, जहां भी लागू हो, जो बैंक मेरे खाते या प्रदान किए गए किसी लेनदेन या सेवाओं के संबंध में लगा सकता है और इसे बैंक द्वारा मेरे खाते में डेबिट करके वसूल किया जा सकता है। मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो समय के साथ शुल्क खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे जब तक कि पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती।

1.9.1 समूह स्तर के प्रसार: मैं/हम इस बात की पुष्टि करते हैं और समझते हैं कि ग्रामीण/अर्ध-शहरी शखा या महिला स्वामियों के लिए बचत या चालू खाते के उत्पाद पर लागू AQB आवश्यकता लागू नहीं होगी और जब तक खाता समूह का हिस्सा है, तब तक इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समूह स्तर के शुल्कों की अनुसूची में घोषित और निर्दिष्ट शेष राशि लागू होगी।

मैं/हम पुष्टि करते हैं और समझते हैं कि बचत खातों के लिए सावधि जमा या डेबिट कार्ड स्वाइप के आधार पर और चालू खातों के लिए लेनदेन की संख्या के आधार पर AQB की छूट तब तक लागू नहीं होगी जब तक खाता समूह का हिस्सा बना रहता है। इसके बजाय, शुल्कों की समूह-स्तरीय अनुसूची में घोषित और निर्दिष्ट शेष राशि लागू होगी।

1.9.2 मैं/हम पुष्टि करते हैं और समझते हैं कि यदि, समूह के हिस्से के रूप में, हम उत्पाद को बदलने का निर्णय लेते हैं, तो समूहीकरण केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब खाता समूह का हिस्सा बनने के योग्य हो। अन्यथा, खाते को समूह के बाहर एक व्यक्तिगत खाते के रूप में माना जाएगा, और

www.equitasbank.com पर उल्लिखित सभी शुल्क, नियम और शर्तें लागू होंगी।

1.10 मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि यदि मैं शाखा से चेक बुक, फोन बैंकिंग TINS, नेट बैंकिंग IPINS, डेबिट / ATM कार्ड और PINs जैसी वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से एकत्र करने के लिए विशिष्ट निर्देश प्रदान नहीं करता हूँ, तो बैंक उन्हें करियर, मैसेंजर, मेल या अपने विवेकानुसार किसी अन्य तरीके से प्रचार के लिए मेरे द्वारा अधिसूचित पते पर भेज देगा।

1.11 मैं सहमत हूँ कि एक खाता एक नाबालिग की ओर से या तो उनके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा या सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। अभिभावक नाबालिग के वयस्क होने तक उपरोक्त खाते में किसी भी प्रकार के सभी लेन-देन में नाबालिग की ओर से कार्य करेगा। नाबालिग के वयस्कता की आयु तक पहुंचने पर, खाते को संचालित करने का अभिभावक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अभिभावक नाबालिग के खाते में जिकारी/लेनदेन के संबंध में नाबालिग द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हूँ।

1.12 मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हूँ और प्रतिबद्ध हूँ कि लेनदेन पूरा करने के लिए मेरे खाते में पर्याप्त धनराशि, समाशोधित शेष राशि, या पूर्व-व्यवस्थित क्रेडिट सुविधाएं होंगी। मैं सहमत हूँ कि पर्याप्त निधि न होने के कारण मेरे अनुदेशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर, निर्देशों को निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही अपर्याप्त धनराशि हो, बिना मेरी पूर्व स्वीकृति या सूचना के और मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उस समय लागू दर पर सभी संबंधित शुल्कों के साथ किसी भी परिणामी अग्रिम, ओवरड्राफ्ट, या बनाए गए क्रेडिट को ब्याज के साथ चक्राने के लिए उत्तरदायी होऊंगा। मैं सहमत हूँ कि पर्याप्त निधि न होने के कारण बार-बार चेकों के अनादरण या उच्च मूल्य के चेकों की वापसी के परिणाम स्वरूप चेक बूक जारी करना बंद हो सकता है या मेरा बैंक खाता बंद हो सकता है।

1.13 मैं सहमत हूँ कि यदि मेरा खाता ओवरड्रा हो जाता है, तो बैंक मेरे किसी भी अन्य खाते में उपलब्ध किसी भी क्रेडिट के खिलाफ इस राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.14 मैं सहमत हूँ कि मेरे खाते में परिचालन के तरीके में कोई भी परिवर्तन बैंक द्वारा केवल सभी संयुक्त खाता धारकों की सहमति से किया जा सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक मेरे खाते के सभी संयुक्त धारकों की सहमति के

बिना संशोधन के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। मैं आगे सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि, ऐसे समय तक, बैंक खाता खोलने के समय सहमत संचालन के तरीके के अनुसार निर्देशों का सम्मान करना जारी रखेगा।

1.15 यदि मुझे बैंक के किसी भी उत्पाद/सेवाओं की विशेषताओं के बारे में कोई शिकायत है जो मेरे पास है या जिसका लाभ उठाया जाता है, तो मुझे पता है कि मैं समाधान के लिए customer.service@equitasbank.com पर बैंक के भीतर शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकता हूँ। यदि मुझे शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो मैं बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत उस क्षेत्र के लिए जहां मेरा खाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त लोकपाल से संपर्क कर सकता हूँ जो उस क्षेत्र का प्रभारी है, जिसका विवरण www.bankombudsman.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

1.16 यदि बचत और चालू खातों (क्रेडिट ब्याज और डेबिट ब्याज जैसे सिस्टम-जनरेटड लेनदेन को छोड़कर) दोनों के लिए दो साल की निरंतर अवधि के लिए खाते में मेरे/हमारे द्वारा कोई लेनदेन शुरू नहीं किया जाता है, तो मैं/हम सहमत हूँ कि बैंक खाते को 'निष्क्रिय' के रूप में वर्गीकृत करेगा। मैं/हम सहमत हूँ कि खाते की स्थिति केवल मेरे/हमारे (सभी संयुक्त धारकों) लिखित निर्देश और मेरे द्वारा/हमारे द्वारा होम ब्रांच में लेनदेन की शुरुआत पर ही 'सक्रिय' पर वापस आ जाएगी। मैं/हम समझते हैं कि बैंक वैकल्पिक बैंकिंग चैनलों जैसे ATM, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन की अनुमति नहीं दे सकता है जब तक कि खाते की स्थिति 'निष्क्रिय' से 'सक्रिय' में परिवर्तित नहीं हो जाती है।

1.17 बचत खाते पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा निर्धारित दर के आधार पर की जाती है, जो समय-समय पर बदल सकती है।

1.18 कृपया ध्यान रखें कि यदि खाते की शेष राशि 3 महीने या उससे अधिक समय तक लगातार शून्य रहती है, तो बैंक ग्राहक को सूचित करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.19 मैं समझता हूँ कि यदि खाता खोलने के बाद "ऐसा कोई पता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आंशिक रूप से परिरक्षित, या अधूरा पता" जैसे कारणों से वेल्कम किट वितरित नहीं की जाती है, तो बैंक को ग्राहक से संपर्क करने के लिए उचित प्रयास करने के बाद खाते को फ्रीज करने की आवश्यकता होगी।

1.20 जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, तब तक बचत बैंक खाता ग्राहकों को 30 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और



TRUE COPY

नियमों और शर्तों

फोन बैंकिंग के साथ-साथ मोबाइल बैंकिंग तक सुफल पंहुच प्रदान करता है।

1.21 सूचना का प्रकटीकरण: मैं समझता हूँ कि मुझे ऋण, अग्रिम और अन्य निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएँ प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, बैंक को मेरे द्वारा ली गई या ली जाने वाली ऋण सुविधाओं, उनके संबंध में मेरे द्वारा ग्रहण की गई या ग्रहण की जाने वाली बाध्यताओं, तथा इन दायित्वों के निर्वहन में मेरे द्वारा की गई किसी चुक से संबंधित सूचना और डेटा के प्रकटीकरण के लिए मेरी सहमति की आवश्यकता है।

तदनुसार, मैं, एतद्वारा सहमत हूँ और बैंक द्वारा मुझसे संबंधित सभी या किसी भी ऐसी

i. जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ

ii. मेरे द्वारा ली गई/प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा, और

iii. बैंक द्वारा यथा उचित और आवश्यक समझे गए मेरे दायित्वों के निर्वहन में मेरे द्वारा की गई चुक, यदि कोई हो, प्रकट की जाएगी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और इस संबंध में RBI द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी और डेटा सत्य और सटीक हैं।

मैं, वचन देता हूँ कि:

i. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और कोई अन्य प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रकट की गई जानकारी और डेटा का उपयोग और प्रक्रिया उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकती है; और

ii. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और कोई अन्य प्राधिकृत एजेंसियाँ, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी, डेटा / उत्पाद बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य पंजीकृत ऋण अनुदानकर्ताओं या प्रयोक्ताओं को रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विचारार्थ प्रदान कर सकती हैं।

1.22 फॉर्स मेंचोर: यदि कोई लेन-देन मूर्त रूप लेने में विफल रहता है, अपूर्ण है, या यदि बैंक इन नियमों और शर्तों के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है या अप्रत्याशित घटना (नीचे परिभाषित) के कारण इसकी सेवाओं/सुविधाओं के लिए विशिष्ट दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है, तो बैंक को, उपायवधि नहीं ठहराया जाएगा और ऐसे मामलों में, अप्रत्याशित घटना की अवधि के लिए बैंक के दायित्वों को निर्धारित कर दिया जाएगा।

"फॉर्स मेंचोर इवेंट" का मतलब किसी भी ऐसी घटना से है जो बैंक के उचित नियंत्रण से परे किसी कारण से हो, जिसमें निम्नलिखित सीमाओं के बिना शामिल हैं: किसी भी संचार प्रणाली की अनुपलब्धता, प्रक्रियाओं या भूतलान या वितरण तंत्र में संघर्षकारी या वायरस, तोड़फोड़, अंगण, बाढ़, विस्फोट, ईश्वर के कार्य, नागरिक अशांति, हड़ताल या किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई, दंगे, विद्रोह, युद्ध, सरकार के कार्य, कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर डेटा और भंडारण उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच, कंप्यूटर क्रेम, कंप्यूटर टर्मिनल में खराबी या सिस्टम पर किसी भी दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड या प्रोग्राम का प्रभाव, यात्रिक या तकनीकी त्रुटियाँ / विफलताएँ या पावर शटडाउन, दूरसंचार में खराबी या विफलताएँ, आदि।

1.23 ग्रहणाधिकार/सेट ऑफ का अधिकार: मैं एतद्वारा प्रदान करता हूँ और पृष्ठ करता हूँ कि बैंक के पास ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ का अधिकार है, जिसका बैंक किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। यह अधिकार, जो मेरे साथ अन्य समझौतों के तहत किसी भी अन्य विशिष्ट अधिकार के साथ मौजूद है, बैंक को अपने विवेकानुसार और मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के, बैंक में जमा किए गए मेरे किसी भी फंड या बैंक से मुझे देय किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है। इन निधियों का उपयोग ऋण सुविधा से संबंधित बैंक के किसी भी बकाए और बकाया राशि का निपटान करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें इन नियमों और शर्तों के तहत देय कोई भी शुल्क, फीस या बकाया शामिल हैं।

1.24 मैं/हम एतद्वारा पृष्ठ करता हूँ/करते हैं कि बैंक जमा और ऋण जैसे अपने वित्तीय उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए कारोबारी संवाददाताओं, बिज्जी एजेंटों और व्यवसाय सुविधाकर्ताओं को नियुक्त करता है और इसके अतिरिक्त, हमें बैंक द्वारा इन प्रतिनिधियों के साथ हमारे संपर्क विवरण साझा करने और प्रचार उद्देश्यों के लिए उनसे कॉल प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम इस बात से भी अवगत हूँ कि ऐसे व्यक्ति/संस्थाओं के आचरण के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, मुझे/हमें बैंक के नोडल अधिकारी या ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करने का अधिकार है।

2. बचत खाते

2.1. वेतन खाते

2.1.1 वेतन जमा का रिवर्सल: मैं एतद्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक को प्राधिकृत करता हूँ कि मेरे नियोक्ता/कंपनी के अनुरोध पर मेरे खाते में नियोक्ता/कंपनी द्वारा जमा की गई और/या अनुदेशों पर जमा की गई किसी भी अधिविचर राशि को मेरे खाते में विहित कर/क्रेडिट करके/ऋण की वापसी करके मुझे नोटिस के साथ वसूली

कर सकता है। बैंक द्वारा किए गए ऐसे किसी भी होल्ड फंड/ड्रैबिट / क्रेडिट के रिवर्सल के लिए बैंक को जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

2.1.2 मैं स्वीकार करता हूँ कि नियोक्ता/कंपनी में मेरे रोजगार के कारण बैंक में मेरा खाता खोला गया है और इसे "वेतन खाता" के रूप में नामित किया गया है। मैं समझता हूँ कि नियोक्ता/कंपनी और बैंक के बीच की व्यवस्था के आधार पर, मैं बैंक के विवेकाधिकार पर, वेतन खाते में कुछ सुविधाओं के लिए केवल नियोक्ता/कंपनी के साथ अपने रोजगार के दौरान या जब तक नियोक्ता/कंपनी और बैंक के बीच व्यवस्था प्रभावी रहती है, हकदार हो सकता हूँ। मैं नियोक्ता/कंपनी के साथ अपनी सेवा की समाप्ति पर बैंक को सूचित करूंगा। "नियोक्ता/कंपनी" शब्द उस कॉर्पोरेट इकाई को संदर्भित करता है जहां मैं नियोजित हूँ और जिसके अनुरोध पर बैंक के साथ वेतन खाता खोला गया था।

2.1.3 मैं समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि वेतन जमा करने के लिए सही खाता संख्या की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे नियोक्ता/कंपनी की है और मैं अपने नियोक्ता/कंपनी द्वारा प्रदान किए गए गलत खाता संख्या के परिणामस्वरूप किसी भी गलत क्रेडिट के लिए बैंक को जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा।

2.1.4 मैं एतद्वारा सहमत हूँ कि यदि लगातार तीन माह की अवधि के लिए मेरे वेतन खाते में कोई वेतन जमा नहीं किया जाता है तो बैंक मुझे/खाताधारक को सूचित किए बिना वेतन खाते को बचत नियमित खाते में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ESFB बचत खाते पर लागू नियम और शर्तें स्थिति परिवर्तन की तारीख से इस खाते पर लागू होंगी। बचत खाते से संबंधित नियम और शर्तें और सुविधाएं बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध और प्रकाशित की जाती हैं।

2.1.5 मैं एतद्वारा सहमति देता हूँ कि बैंक अपने विवेकाधिकार पर, वेतन खाते को बंद कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि नियोक्ता/कंपनी द्वारा और/या उसकी ओर से नियमित रूप से कोई राशि जमा नहीं की जाती है, या यदि मैं नियोक्ता/कंपनी द्वारा किसी भी कारण से नियोजित नहीं किया जाता हूँ। यह मुझे 30 दिन का नोटिस देने के बाद किया जाएगा।

2.2 मूल बचत बैंक जमा खाता (मूल और लघु खाता):

2.2.1 मैं समझता हूँ कि विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल बचत बैंक जमा खाता धारकों को ESFB के भीतर कोई अतिरिक्त बचत खाता खोलने की अनुमति नहीं है। अतः मैं यह स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ कि यदि मेरा ESFB मूल बचत बैंक जमा खाता को बैंक KYC दस्तावेज के साथ कोई अन्य विद्यमान बचत खाता (खाते) होना चाहिए तो



TRUE COPY



नियमों और शर्तों

जमा करने की आवश्यकता है। यदि मैं इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता हूँ, तो ESFB मेरे खाते में आगे के लेनदेन को रोकने के लिए अधिकृत है।

2.3.8 मैं समझता हूँ कि यदि उपरोक्त किसी भी KYC खंड का अनुपालन न करने के कारण मेरा खाता अवरुद्ध कर दिया गया है, तो मुझे खाता बंद करना होगा या वर्तमान BSBD लघु खाते को BSBD या नियमित बचत स्पॉन्सर खाते में परिवर्तित करना होगा, बशर्ते कि मैं आवश्यक KYC आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ।

2.4 ग्रामीण बचत खाता:

2.4.1 मैं समझता हूँ कि बैंक ग्रामीण बचत खाते के लिए डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा, और मुझे आधिकारिक कामकाजी घंटों के दौरान शाखा में व्यक्तिगत रूप से सभी लेनदेन करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।

2.5 बचत खातों के सभी प्रकार:

2.5.1 मैं समझता हूँ कि RBI निर्देशों के अनुसार, बचत बैंक खाता (SB खाता) कारोबार प्रयोजनों के लिए नहीं खोला जा सकता है और इसलिए, एक SB खाता विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन को रूट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि कोई लेनदेन होता है जो संदिग्ध, अवांछनीय, या RBI के नियमों के साथ गैर-अनुपालन माना जाता है, या किसी अन्य समान लेनदेन के साथ, बैंक ऐसे खातों के संचालन को एकरफा रूप से प्रीज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. चालू खाता

3.1 मैं समझता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी चालू खाता खोलने के लिए बैंक की किसी शाखा या किसी अन्य बैंक में विद्यमान ऋण सुविधाओं की घोषणा करना आवश्यक हो जाता है। मैं निर्दिष्ट फॉर्म का पालन करते हुए, खाता खोलने के फॉर्म में किसी भी बैंक से प्राप्त किसी भी क्रेडिट सुविधाओं के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं संबंधित बैंक (बैंकों) से आवश्यक उनापति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और खाता खोलने से पहले इसे आपको जमा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।

3.2 मैं बैंक को अनुरोध पर, किसी भी ओवरड्राफ्ट राशि को तुरंत और बिना शर्त चुकाने के लिए सहमत होता हूँ, जो मुझे समय-समय पर अर्जित ब्याज के साथ दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यह समझौता बैंक को मुझे कोई ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं करता है।

4. सावधि जमा

4.1 मुझे ज्ञात है कि ESFB अपने घरेलू, NRO और NRE जमा खातों पर ब्याज की गणना प्रति वर्ष 365 दिनों का उपयोग करके करता है, जिसमें सभी अवधियों के लिए लीप वर्ष भी शामिल है।

4.2 घरेलू और NRO जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि वे बुकिंग की तारीख के 7 दिनों के भीतर समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार, NRE / FCNR जमा राशियों के लिए, यदि जमा राशि बुकिंग तिथि से 1 वर्ष से पहले समाप्त की जाती है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

4.3 मैं बैंक के अधिकार से सहमत हूँ कि मैं परिपक्व जमा के समान अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दरों पर अर्जित ब्याज सहित अपनी सावधि जमा को नवीनीकृत कर सकता हूँ, यदि मैं परिपक्वता पर लिखित निपटान निर्देश प्रदान नहीं करता हूँ।

मैं सहमत हूँ और सहमत हूँ कि बैंक सावधि जमा राशि को परिपक्वता पर या समय से पहले निकाली की स्थिति में, बैंक की किसी भी शाखा में, चाहे वह उस शाखा में वितरित करने के लिए अधिकृत हो, जहां जमा शुरू में बुक किया गया था।

4.4 मैं समय से पहले निकाली की स्थिति में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट की आय से पहले से भुगतान किए गए किसी भी ब्याज या जुर्माना, यदि लागू हो, मैं कटौती करने के लिए बैंक के अधिकार से सहमत हूँ और यह कार्डवाई बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों के प्रचलित विनियमों के अनुसार होगी।

4.5 सावधि जमा खातों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा सावधि जमा के समय से पहले बंद होने पर 1% की जुर्माना दर निर्धारित की गई है। समय से पहले बंद करने का जुर्माना उन सावधि जमाओं पर नहीं लगाया जाएगा जो 180 दिनों की अवधि से अधिक हो गए हैं और बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में नहीं आते हैं (यानी 28 फरवरी, 2019 को या उससे पहले 1 करोड़ रुपये से कम बूक की गई FD, और 1 मार्च को या उसके बाद बूक किए गए 2 करोड़ रुपये से कम की FD), 2019)।

4.6 जमा राशि एक संयुक्त खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में जीवित संयुक्त खाताधारक को स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होती है, जब तक कि एक उत्तरजीविता खंड निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

4.7 मैं हम सहमत हूँ कि, उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त सावधि जमा के मामले में, बैंक को एक या अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद, उत्तरजीवि (उत्तरजीवी) के अनुपस्थित पर, समयपूर्व सावधि जमा आय को पूरा करके देयता से मुक्त किया जाता है।

4.8 जमाकर्ता के निधन की स्थिति में, मीयादी जमा की समयपूर्व निकाली की अनुमति दी जाएगी। समय से पहले निकाली के लिए कोई जुर्माना नहीं होगा। "कोई भी या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" के तहत जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु के मामले में, बैंक को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों से सहमति की आवश्यकता के बिना जमा आय को समय से पहले बंद करने और निकालने के लिए उत्तरजीवी के अनुरोध का सम्मान करने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक द्वारा किया गया भुगतान बैंक की ओर से वैध निर्दिष्ट माना जाएगा। हम, उपरोक्त सावधि जमा के संयुक्त धारक, इसके द्वारा उपरोक्त शर्तों के लिए अपनी सहमति की पुष्टि करते हैं।

4.9 मैं बैंक को मेरी जमा राशि को 1 रुपये की इकाइयों में तोड़ने की अनुमति देने के लिए सहमत हूँ यदि मैं उन्हें बचत खाते में स्वीप के लिए लिंक करता हूँ और खाते में कोई कमी है। धनराशि मेरे सावधि जमा (FD) से लास्ट इन फर्स्ट आउट आधार (LIFO) पर बचत या चालू खाते में जमा की जाएगी।

4.10 मैं स्वीकार करता हूँ कि यदि मेरे या किसी तीसरे पक्ष द्वारा जमा पर कोई ग्रहणाधिकार है, तो जमा राशि को निर्दिष्ट परिपक्वता अनुरोध की परवाह किए बिना, प्रचलित दरों पर उसी अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाएगा।

4.11 समय से पहले निकाली पर, ब्याज की गणना और भुगतान उस अवधि और राशि के लिए लागू दर के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए जमा बैंक के साथ आयोजित किया गया था, बजाय अनुबंधित दर पर।

4.12 1 मार्च, 2019 से, 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी फिक्स्ड डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

5. आवर्ती जमा

5.1 मैं आवर्ती जमा (घरेलू) पर एक महीने की लॉक-इन अवधि के लिए सहमत हूँ, और इस अवधि के भीतर समय से पहले बंद होने की स्थिति में, मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5.2 मैं आवर्ती जमा (घरेलू) पर एक महीने की लॉक-इन अवधि के लिए सहमत हूँ, और इस अवधि के भीतर समय से पहले बंद होने की स्थिति में, मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5.3 मैं NRE आवर्ती जमा पर एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए सहमत हूँ, और इस अवधि के भीतर समय से पहले बंद होने की स्थिति में, मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5.4 मैं मानता हूँ कि एक बार किस्त राशि निर्धारित हो जाने के बाद, इसे बाद की तारीख में नहीं बदला जा सकता है।

5.5 मैं सहमत हूँ कि यदि भुगतान के समय कई किस्तें अतिदेय हैं, तो भुगतान की गई किस्त, यदि केवल एक किस्त को कवर करने के लिए पर्याप्त है, तो उसे पहली सबसे पुरानी किस्त अतिदेय के लिए विनियोजित किया जाएगा।

5.6 मैं सहमत हूँ कि किस्तों के आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.7 अगर किस्त वसूली के लिए स्थायी निर्देश विफल हो जाता है, तो बैंक स्थायी निर्देश विफलता शुल्क वसूल करेगा, भले ही मासिक भुगतान सफलतापूर्वक किया गया हो।

5.8 मैं सहमत हूँ कि किस्त के भुगतान में किसी भी देरी की स्थिति में, मैं हम आवर्ती जमा ब्याज दर (RD) की बुकिंग के समय अनुबंधित ब्याज दर) प्लस 2% प्रति वर्ष, या ऐसी अन्य दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हूँ जो ESFB द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, देरी की वास्तविक अवधि के लिए।

5.9 मैं समझता हूँ कि दंडात्मक शुल्क की गणना 30/360 के आधार पर की जाएगी।

5.10 मुझे पता है कि जमा राशियों के समय से पहले बंद होने (राशि की परवाह किए बिना) के लिए लागू ब्याज दर या तो जमा की मूल संविदागत अवधि की दर या समय से पहले बंद होने की तारीख के अनुसार अवधि के लिए लागू दर से कम होगी।

5.11 लक्ष्य-आधारित RD: मैं समझता हूँ कि लक्ष्य-आधारित RD के मामले में, लक्ष्य प्राप्त होने या अधिकतम कार्यकाल तक पहुंचने के बाद, जो भी पहले हो, RD समाप्त हो जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति या कार्यकाल पूरा होने पर, जो भी पहले हो, RD की परिपक्वता राशि लिंक किए गए बचत खाते में जमा की जाएगी।

5.11.1 मैं समझता हूँ कि बैंक, अपने विवेक पर, मुझे बचत लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने लक्ष्य-आधारित RD को टॉप-अप करने की अनुमति देगा।

5.11.2 टॉप-अप की स्थिति में, ब्याज की गणना की जाएगी और जमा की तारीख से परिपक्वता तक भुगतान किया जाएगा।

5.11.3 फ्लेक्सी RD: मैं समझता हूँ कि बैंक, अपने विवेक के लिए सहमत है, और इस अवधि के भीतर समय से पहले बंद होने की स्थिति में, मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।



TRUE COPY



नियमों और शर्तों

है। टॉप-अप की स्थिति में, ब्याज की गणना की जाएगी और जमा की तारीख से परिपक्वता तक भुगतान किया जाएगा।

5.12 समयपूर्व निकासी के मामले में, ब्याज का भुगतान उस राशि और अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जिसके लिए जमा राशि बैंक के पास रही, न कि संविदात्मक दर पर।

6. डेबिट कार्ड

6.1 फीस: मैं सहमत हूँ कि बैंक मेरे/हमारे खाते से डेबिट करके ATM कार्ड से संबंधित सभी फीस/टैक्स/सर्विस चार्ज और किसी भी अन्य लेवी की वसूली कर सकता है।

6.2 लेन-देन की जिम्मेदारी: मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने ATM कार्ड का उपयोग करके किए गए सभी प्रकार के लेनदेन के लिए जिम्मेदार रहूँगा, भले ही ये लेनदेन मेरे ज्ञान, सहमति या प्राधिकरण के साथ संसाधित किए गए हों, चाहे वे व्यक्ति या लिखित हों। मैं बैंक के लेनदेनों के रिकॉर्ड को सभी प्रयोजनों के लिए और सभी परिस्थितियों में निर्णायक और बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हूँ।

6.3 PIN: ATM पर कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक पर्सनल आईडेंटिफिकेशन नंबर (PIN) जारी किया जाएगा। PIN मुझे मेल किया जाएगा और मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह सीलबंद लिफाफे में प्राप्त हो। बाद में, मैं अपने जोखिम पर, ATM पर PIN बदल सकता हूँ। PIN की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और मुझे इसे गोपनीय रखना चाहिए और सभी की किसी तीसरी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। अगर मैं इन सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता हूँ, तो इस तरह की लापरवाही से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए मैं जिम्मेदार और उत्तरदायी रहूँगा। ग्राहक अपना स्वयं का पिन सेट करने से पहले बैंक के विभिन्न सेवा वितरण चैनलों जैसे शाखा/ATM/ इंटरनेट/ मोबाइल/फोन बैंकिंग का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए सहमत होता हूँ और बैंक अपने विवेकानुसार गीन पिन या पेपरलेस पिन जारी कर सकता है।

6.4 कार्ड की वैधता: मैं इस बात से सहमत हूँ कि ATM उपयोग योग्य कार्ड हमेशा बैंक के स्वामित्व में रहेगा। ATM उपयोग योग्य कार्ड की वैधता अवधि कार्ड के सामने वाले भाग पर दर्शाई जाएगी। खाता बंद होने की स्थिति में या किसी भी कारण से बैंक द्वारा मंगे जाने पर, मैं कार्ड बैंक को सौंपने के लिए सहमत हूँ।

6.5 खोया हुआ कार्ड: यदि मेरा ATM उपयोग करने योग्य कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या खो जाता है, तो मैं बैंक को लिखित रूप में या फोन बैंकिंग को कॉल करके

घटना की रिपोर्ट तुरंत करने के लिए सहमत हूँ। जब तक मैं कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने की रिपोर्ट नहीं करता, तब तक कार्ड के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।

6.6 कार्ड की सुरक्षा: मैं सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बैंक में दर्ज पते पर कार्ड भेजने के लिए सहमत हूँ। मैं ATM उपयोग करने योग्य कार्ड को सुरक्षित रूप से अपने पास रखने के लिए सहमत हूँ और समझता हूँ कि मुझे बैंक का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले व्यक्तियों सहित किसी को भी कार्ड नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर कार्ड मेरे द्वारा खोए या चोरी होने की रिपोर्ट करने से पहले गलत हाथों में पड़ जाता है, तो कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6.7 ATM लेनदेन के कारण खाते में गलत प्रविष्टियाँ: यदि मुझे मेरे द्वारा किए गए ATM लेनदेन के कारण मेरे खाते में गलत प्रविष्टि डेबिट का पता चलता है, तो मैं तुरंत इस मुद्दे को उस शाखा के ध्यान में लाऊँगा जहाँ मेरा खाता बनाए रखा जाता है (खाता शाखा)। मैं समझता हूँ कि बैंक जांच करेगा और उसके बाद अपने निष्कर्षों के साथ मुझे जवाब देगा, और मैं सहमत हूँ कि इस मामले पर बैंक का निर्णय अंतिम और मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

6.8 किसी भी विवाद के मामले में ऑडिट ट्रेल अंतिम और निर्णायक होगा: मैं सहमत हूँ कि किसी भी विवाद की स्थिति में, बैंक सभी विवादों को हल करने के लिए अंतिम और निर्णायक साक्ष्य के रूप में ATM के ऑडिट ट्रेल (चाहे वह मद्रित रूप में हो या गैर-संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में) पर भरोसा करेगा। मैं ऑडिट ट्रेल की रिकॉर्डिंग का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

6.9 अगर मुझे ATM से ऐसे नोट मिलते हैं जो विकृत किया हो, फटे या कटे हुए हैं खाता शाखा में जाकर, मैं एक पत्र, लेनदेन पत्ती जमा करके और ATM पर अपने लेनदेन की पुष्टि करके नोट बदलवाऊँगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि बैंक किसी अन्य प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

6.10 यदि बैंक को मेरे द्वारा ATM/टेलर काउंटर के माध्यम से जमा किए गए जाली/कटे-फटे/हुए नोट मिलते हैं, तो बैंक मुझे जाली/कटे-फटे/हुए नोट के अनुरूप मूल्य के साथ क्रेडिट नहीं करेगा।

मैं समझता हूँ कि बैंक मुझे जाली नोट भी वापस नहीं देगा। हालाँकि, मेरे लिखित अनुरोध पर, बैंक कटे-फटे या फटे नोट मुझे वापस कर देगा। बैंक अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए सभी आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

6.11 मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास अपने नवीकरण कार्ड के डिस्पेंच से पहले बैंक को सूचित करके, जब इसका नवीकरण होगा है, डेबिट कार्ड को अस्वीकार करने का विकल्प है। मेरे पास बैंक टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने या कार्ड डिस्पेंच को रोकने का अनुरोध करने के लिए समाप्ति तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उनके ग्राहक सेवा मेल आईडी पर ईमेल भेजने का विकल्प है।

6.12 जानकारी का प्रकटीकरण: मैं समझता हूँ कि एक पूर्व शर्त के रूप में, बैंक को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए मेरी सहमति की आवश्यकता है, ताकि मेरे डेबिट कार्ड लेनदेन के आधार पर रिवाइड पॉइंट्स के आवंटन की सुविधा मिल सके। मुझे पता है कि बैंक अपने ग्राहकों के डेटा संरक्षण पर मौजूदा कानून और वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

6.13 मुझे पता है कि मेरे पास अपने डेबिट कार्ड को अस्वीकार करने का विकल्प है, जब उसका नवीनीकरण होता है, तो मैं अपने नवीनीकृत कार्ड को भेजने से पहले बैंक को सूचित कर सकता हूँ। बैंक को सूचित करने के लिए, मैं या तो उनके टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकता हूँ या कार्ड प्रेषण की समाप्ति का अनुरोध करने के लिए अपने डेबिट कार्ड की समय सीमा समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले उनके ग्राहक सेवा ईमेल पते पर एक ईमेल भेज सकता हूँ।

6.14 मुझे पता है कि एक बार जब अकाउंट को "बंद" के रूप में चिह्नित कर दिया जाता है, तो मेरे अकाउंट से जुड़े संबंधित कार्ड और चैलन एक्सेस को स्थायी रूप से अक्षम किया जा सकता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

7.1 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का महत्वपूर्ण अधिदेश: 1 दिसंबर 2013 से प्रभावी,

• ESFB डेबिट कार्ड का उपयोग भारत में किसी भी खुदरा बाजार में ग्राहक के ATM PIN का उपयोग आवश्यक बनाता है।

• गलत PIN के साथ या बिना PIN के लेन-देन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

7.2 कार्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्थापित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यदि कार्डधारक इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह FEMA, 1999 और विदेशी मुद्रा से संबंधित समय-समय पर लागू किसी अन्य लागू कानून और विनियमन के तहत कानूनी कार्यवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

कार्डधारक को बैंक या RBI के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य डेबिट कार्ड रखने से वंचित किया जा सकता है। कार्ड भारत और भारत के बाहर उपयोग के लिए मान्य है, लेकिन उस पर "नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं" अंकित होगा। यदि कार्ड रद्द किया जाता है, चाहे वह विनियम नियंत्रण विनियमों के अनुपालन की कमी के कारण हो या किसी अन्य कारण से, तो बैंक किसी भी प्रयास की जिम्मेदार नहीं होगा जिससे कार्ड का उपयोग किया जाता है, चाहे भारत में हो या विदेश में, जिससे कार्ड को अवमानित किया जाता है और संबंधित व्यापारी को रद्द किया गया कार्ड को पेश करके "सेज / जब्त" करने का अधिकार होगा।

7.3 कार्ड को उस रैमिटेस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए मौजूदा विनियमों के तहत विनियम की छूट स्वीकार्य नहीं है।

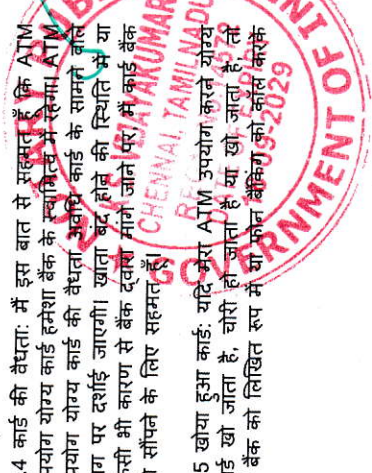
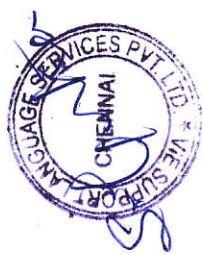
7.4 वैधता: कार्ड की मान्यता निश्चित माह के अंतिम कार्यकारी दिन तक होती है। कार्डधारक कार्ड की अवधि समाप्त होने पर उसे आधा तिरछे काटकर नष्ट कर देना चाहिए। बैंक आपके नवीनीकृत कार्ड को भेजगा और कार्ड को उसकी समाप्ति से पहले बैंक की सिस्टम में दर्ज की गई पते पर पहुंचाने का प्रयास करेगा।

7.5 कार्डधारक के दायित्व: कार्डधारक को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। कार्डधारक को किसी भी परिस्थिति में कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कार्डधारक को कार्ड प्राप्त होने पर तुरंत पिछले भाग पर हस्ताक्षर करने होंगे।

किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक को व्यक्तिगत पहचान, CVV नंबर या कार्ड से संबंधित कोई अन्य व्यक्तिगत पहचान संख्या किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से या फोन पर साझा या प्रकट नहीं करनी चाहिए।

7.6 RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए PAN होना अनिवार्य है, जिसमें ATM और प्वाइंट ऑफ सेल लेनदेन या अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट शामिल हैं। कंपया अपने इविटस वीजा डेबिट कार्ड के लिए अपना PAN नंबर प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को सक्रिय करें। अपनी नजदीकी ब्रांच में जाए या 1800 1031222 पर कस्टमर सर्विस से संपर्क करें।

8. फोन बैंकिंग



नियमों और शर्तों

8.1 फोन बैंकिंग / फोन बैंकिंग सेवा ESFB की फोन बैंकिंग सेवा का संदर्भ है, जिसके अंतर्गत ESFB अपने ग्राहक ग्राहक को टेलीफोन, ईमेल या अन्य प्रणालियों के माध्यम से जानकारी प्रदान करेगा और लेन-देन को सुविधाजनक बनाएगा, जो और अन्य संबंधित इकाइयों के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ESFB ग्राहक के खाते(खातों) की संचालन प्रदान करेगा, जिनके साथ ESFB ने समझौते किए हैं।

8.2 नियम फोन बैंकिंग के उपयोग के लिए नियम और शर्तों को संदर्भित करते हैं। फोन बैंकिंग सेवा के लिए प्रयोग करके और पहली बार सेवा का उपयोग करके, मैं इन "शर्तों" को स्वीकार करता हूँ और उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं बैंक की वेबसाइट www.equitasbank.com पर उल्लिखित समय-समय पर प्रभावी फोन बैंकिंग की सभी विस्तृत शर्तों और नियमों से सहमत हूँ। यहां कुछ भी बताए जाने के बावजूद, खाते (खातों) के संबंध में ESFB द्वारा निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तों लागू रहेंगे।

8.3 ESFB मेरे लिए फोन बैंकिंग सेवा के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, जैसे कि खाते(खातों) में शेष राशि की जांच, खाते(खातों) के लिए विवरण और/या चेक बुक के लिए अनुरोध, क्रेडिट कार्ड पर विभिन्न सेवाएं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड खाते की जांच, खाते का विवरण और ESFB लिमिटेड जैसे अन्य सुविधाएं, जो समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

8.4 मुझे जानकारी है और मैं स्वीकार करता हूँ कि ESFB ने 24 घंटे इंटरक्टिव वॉयस रिसपॉन्स सिस्टम और/या फोन बैंक के माध्यम से निर्देश देकर फोन बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए सहमति दी है। फोन बैंक सहायता सेवा की समय सीमाएं ESFB की वेबसाइट और अन्य स्वीकृत संचार माध्यमों पर सूचित की जाती हैं और अपडेट की जाती हैं।

8.5 ESFB मुझे एक 4-अंकीय TIN और/या एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्रदान करेगा, जिसकी मैं गोपनीयता बनाए रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यह गोपनीय रहे। TIN को फोन बैंकिंग IVR का उपयोग करके मैं बाद में अपने जॉखिम पर बदल सकता हूँ। मैं किसी अनधिकृत व्यक्ति को TIN तक पहुंचने की अनुमति नहीं दूंगा, जिसमें ESFB के कर्मचारी या प्रतिनिधि, स्वच्छाचारक, आकस्मिक या गलती से शामिल हों। अगर मैं TIN को खो जाता हूँ/खो देता हूँ या TIN गुप्त रहना बंद कर देता हूँ, तो मैं तुरंत ESFB को सूचित करने का वचन देता हूँ।

8.6 मुझे जानकारी है और मैं स्वीकार करता हूँ कि फोन बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए, मुझे ESFB द्वारा समय-समय पर तय की गई प्रक्रियाओं के अनुसार (a) ग्राहक पहचान संध्या और टेलीफोन पहचान संध्या (TIN) या (b) डेबिट कार्ड संध्या और संबंधित व्यक्तिगत पहचान

संख्या (PIN) और/या सत्यापन के किसी अन्य तरीके से सफलतापूर्वक संधीकरण करते हुए फोन बैंकिंग प्रणाली से अपनी पहचान बतानी होगी। ESFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए लेन-देन, वित्तीय लेन-देन सहित, सफल सत्यापन के पश्चात मेरे ऊपर बाध्यकारी होंगे और इन संबंधित रिकॉर्ड्स को किसी विवाद की स्थिति में स्वीकृति दी जाएगी।

8.7 मैं जानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि फोन बैंकिंग सेवा ESFB द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय में संचालित होगी और लेन-देन के समय के आधार पर, लेन-देन उसी दिन या अगले कार्यकारी दिन किए जाएंगे।

8.8 मैं बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ।

9. नेट बैंकिंग

9.1 मुझे समझा है कि बैसिक नेट बैंकिंग सेवाएं / जंजीकरण ग्राहकों के लिए बैंक में खाता/जमा खोलने के बाद स्वागत रूप से उपलब्ध होंगी, इसकी सेवाओं को सक्रिय करने के लिए किसी भी प्रक्रिया का पूरा किया जाना आवश्यक नहीं होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि नेट बैंकिंग की शर्तों और नियम खाता खोलने की लागू शर्तों के अतिरिक्त लागू होंगे। मुझे प्रदान किया गया नेट बैंकिंग में पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद मैं पासवर्ड बदल लूंगा।

9.2 मैं समझता हूँ कि नेट बैंकिंग सेवाएं बैंक की सेवा हैं (इसमें इस सेवा की सभी संशोधनों को शामिल किया जाता है) जो ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से समय-समय पर सलाह देती हैं, खाता सूचनाओं, उत्पादों और अन्य सेवाओं (जिनमें गैर-वित्तीय और वित्तीय प्रकार के लेन-देन शामिल हैं) तक पहुंच प्रदान करती हैं।

9.3 मैं समझता हूँ कि मुझे ESFB की साइट से सीधे लॉगिन करना चाहिए और मैं किसी को भी अपनी कस्टमर आईडी और IPIN (पासवर्ड) और ऐसी किसी भी खाते संबंधित जानकारी को मत, कॉल या किसी भी अन्य माध्यम से साझा नहीं करना चाहिए।

9.4 मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति को मेरी कस्टमर आईडी और IPIN का एक्सेस मिल जाता है, तो वह बैंक को भुगतान निर्देश/अन्य निर्देश प्रदान कर सकता है।

9.5 मैं बैंक को उन सभी नुकसानों और हानियों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करूंगा, जो बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं।

9.6 नेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं से जुड़े शुल्क, ड्यूटी या अन्य शुल्क उठाने ही लागू होंगे। 9.7 मैं बैंक की वेबसाइट www.equitasbank.com पर उल्लिखित समय-समय पर प्रभावी नेट बैंकिंग की सभी विस्तृत शर्तों और नियमों से सहमत हूँ।

9.8 मैं अपनी संवेदनशील खाता जानकारी जैसे पासवर्ड, CVV, OTP (वन टाइम पासवर्ड) किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करूंगा।

10. मोबाइल बैंकिंग

10.1 मोबाइल बैंकिंग या SMS बैंकिंग का अर्थ है ग्राहक के बचत / चालू खाता(खातों) / सावधि जमा से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की सुविधा और उत्पादों और / या अन्य सेवाओं का उपयोग, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर ग्राहक के मोबाइल फोन पर / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सलाह दी या उपलब्ध कराई जाती है। इस दस्तावेज़ में मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया गया है।

10.2 बैंक का कोई भी ग्राहक, जिसका बचत और/या चालू और/या सावधि जमा खाता है, जिसे अकेले या दोनों में से किसी एक के आधार पर या उरजजीवी आधार पर संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है और जो CSP का मौजूदा सदस्य/काइबर भी है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फोन तक पहुंच होनी चाहिए और मोबाइल फोन कैसे काम करता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। उपयोगकर्ता के पास हमेशा मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए आवश्यक मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। नाबालिग खातों के मामले में, केवल नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक ही इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

10.3 मैं सहमत हूँ कि मैं मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग तभी कर सकूंगा जब मेरा आवेदन सही पाया जाएगा और संबंधित विवरण बैंक और CSP द्वारा पंजीकृत कर लिए जाएंगे। बैंक और CSP को किसी भी कारण का उल्लेख किए बिना मेरे आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता होगी।

10.4 बैंक को उपयोगकर्ता को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। बैंक को हर खाते पर उपयोगकर्ता के श्रेणी के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है, जो श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। बैंक केवल अपनी एकल विवेक से मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कुछ संशोधन/कटौती भी कर सकता है।

10.5 केवल वही खाते जो बैंक में खोले गए हों और संबंधित

उपयोगकर्ता के ID से जुड़े होंगे, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पहुंचने योग्य होंगे।

10.6 मैं बैंक को स्पष्ट अधिकार देता हूँ कि वह मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मेरे द्वारा की गई लेन-देन कार्यवाही को करे। बैंक को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मुझसे प्राप्त होने वाली किसी भी लेन-देन या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से मुझसे भेजी गई किसी भी लेन-देन की मान्यता की पुष्टि करने की कोई अभिबाधा नहीं है, सिवाय मोबाइल फोन नंबर के सत्यापन के माध्यम से। मोबाइल बैंकिंग के समय मेरे द्वारा उत्पन्न प्रदर्शन, मोबाइल एक्सेस की क्रियाओं का एक अभिलेख है और इसे बैंक के संबंधित लेन-देनों के रिकॉर्ड के रूप में न समझा जाएगा। बैंक द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या अन्य माध्यम से रखी गई लेन-देन की अपनी रिकॉर्ड, यदि मुझे किसी विवाद का सुझाव नहीं देते हुए 15 दिनों के भीतर कोई भेदभाव न बताए, तो सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी माननी जाएगी। मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने से उत्पन्न सभी लेन-देन, जॉइंट खाते में, सभी जॉइंट खाता धारकों पर संयुक्त और अलग-अलग रूप से बाध्य होगा।

11. खातों का समूहीकरण

ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि बैंक में ग्राहक के सभी खाते आपस में लिंक किए जाएंगे। शुल्क वसूली के मामले में, यदि प्राथमिक खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो संबंधित शुल्क ग्राहक के अन्य जुड़े खातों से वसूले जाएंगे। फिजिकल स्टेटमेंट को बैंक रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक के मेलिग पते पर भेजा जाता है जबकि ईमेल स्टेटमेंट को ग्राहक के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाता है।

ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के बाद किसी भी खाते को बंद करने की स्वतंत्रता होगी कि उस खाते में कोई अतिरिक्त राशि नहीं है। प्रत्येक खाते का संचालन उनके अपने आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा, जिसमें आवश्यक शेष राशि, शुल्क आदि के रखरखाव शामिल हैं।

12. पासबुक और खाता की स्टेटमेंट: बैंक के पास खातों के लिए ईमेल और फिजिकल स्टेटमेंट की प्राप्ति होगी। फिजिकल स्टेटमेंट को बैंक रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक के मेलिग पते पर भेजा जाता है जबकि ईमेल स्टेटमेंट को ग्राहक के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। बैंक पासबुक फायदा प्राप्त करने का विकल्प भी प्रदान करता है। बैंक अपने खाता धारकों को पासबुक सुविधा/मासिक खाता स्टेटमेंट के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है।

ग्राहक को नियमित रूप से इविटस स्मॉल फाइनेंस बैंकशाखा में जाकर पासबुक को अपडेट करवाने की जिम्मेदारी है। यदि ग्राहक के लिए जारी की गई पासबुक को अपडेट नहीं किया गया है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।



TRUE COPY



नियमों और शर्तों

ईमेल स्टेटमेंट के लिए, ग्राहकों को प्राप्त किए गए किसी भी ईमेल की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी होगी, और बैंक किसी भी भ्रामक ईमेल से होने वाली किसी भी समस्या/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ईमेल स्टेटमेंट केवल ग्राहक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं।

यदि ग्राहक को समय पर स्टेटमेंट (ईमेल/शारीरिक) प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक को सूचित करना चाहिए। बैंक अपने विवेकाधीनता के अनुसार, शुल्क मुक्त एक डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी कर सकता है।

ग्राहकों को किसी भी विसंगति/त्रुटि के लिए पासबुक में एंटी करने के बाद या स्टेटमेंट मेल करने के बाद 14 दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए। बैंक ग्राहक द्वारा बैंक को दर्शाई गई त्रुटियों / असंगतियों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो 14 दिनों के समापन के बाद ग्राहक द्वारा सूचित की गई है। बैंक को किसी भी समय स्टेटमेंट / पासबुक में किसी भी त्रुटि / असंगति को सुधारने का अधिकार होता है।

ग्राहकों को अंतिम बार तैयार किए गए स्टेटमेंट या किसी पिछले महीने के स्टेटमेंट के लिए डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी करने के मामले में, लगाए जाने वाले आवश्यक शुल्क, शुल्क अनुसूची के अनुसार होंगे।

ग्राहक को अपने पते के बदलने पर तुरंत बैंक को सूचित करनी होगी और बैंक की KYC दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके पासबुक में पता संशोधित किया जाना चाहिए।

13. स्रोत पर कर कटौती

आयकर कानून के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में भारत के निवासी होने वाले 60 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए बैंक के सभी जमा योग्यता या पुनर्निवेशित ब्याज की योगदान के योग में यदि 40,000 रुपये से अधिक होते हैं, तो TDS कटौती होती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, यदि लागू हो, तो वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज एकत्रित पर TDS कटा जाता है।

RBI ने किसी भी TDS छूट का दावा करने के लिए PAN अनिवार्य कर दिया है। बैंक उन ग्राहकों के लिए कोई 15G / 15H फॉर्म (जैसा कि लागू हो) स्वीकार नहीं करेगा जिन्होंने PAN विवरण प्रदान नहीं किया है।

ग्राहक समय पर 15G / 15H फॉर्म प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। बैंक फॉर्म जमा करने से पहले काटे गए TDS की वापसी के लिए ग्राहक से कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।

नहीं करेगा।

TDS छूट केवल उन योग्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो निवासी भारतीय हैं। 15H फॉर्म केवल वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। 15G फॉर्म को केवल उन व्यक्तियों, HUF और ट्रस्ट से स्वीकार किया जा सकता है जहां ब्याज की कुल राशि वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर के लिए अधिभार योग्य अधिकतम राशि से अधिक नहीं होती है / होने की संभावना नहीं है। यदि फॉर्म में कोई छूट / गलती हो या ग्राहक द्वारा देरी हो, तो TDS छूट लागू करने में किसी भी देरी / असफलता के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

बचत खाते पर अर्जित ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत TDS लागू नहीं होता है।

में सहमत हैं कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाई हुई ब्याज के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत में पर निर्धारित प्रारूप में TDS प्रमाण पत्र जारी करेगा।

14. संचालन खाते

खाता संचालन के नियम खाते में परिभाषित संचालन अधिदेश पर निर्भर करते हैं (यह ग्राहक के निर्देशों के आधार पर AOF में संचालन जनादेश या खाते खोलने के बाद ग्राहक द्वारा अधिकृत किसी भी परिवर्तन के अनुसार परिभाषित किया जाएगा)।

किसी व्यक्ति के नाम पर खातों का संचालन केवल उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उक्त व्यक्ति के POA (पावर ऑफ अटॉर्नी) द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त खातों का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले या दो या अधिक खाताधारकों द्वारा संयुक्त रूप से या सभी खाताधारकों द्वारा दिए गए परिचालन निर्देशों के अनुसार एक साथ किया जा सकता है। संचालन निर्देशों में किसी भी बदलाव के लिए सभी खाताधारकों के प्राधिकरण की आवश्यक होगी, भले ही संचालन निर्देश कुछ भी हों।

एक साक्षर नाबालिग, जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है (बैंक की अंतर्गत नीति के अनुसार), जो बैंकिंग लेनदेन की प्रकृति को समझ सकता है और समान रूप से हस्ताक्षर कर सकता है, उसे अकेले जमा खाता संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते खाता अवयस्क के नाम पर हो।

प्राकृतिक अभिभावक (या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक) नाबालिग के नाम पर एक जमा खाता खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। इस प्रकार, खाते की शैली के संबंध में यह "पिता और प्राकृतिक अभिभावक

XYZ द्वारा मास्टर ABC (नाबालिग)" होना चाहिए।

ग्राहक स्वयं द्वारा तैयार किए गए चेक या एज-लीफ चेक के माध्यम से भी धन निकाली कर सकते हैं; या ATM / डेबिट-कम-ATM कार्ड का उपयोग करके ATM मशीन के माध्यम से भी धन निकाली की जा सकती है। नकदी निकालने के लिए चेक का उपयोग दृष्टिबाधित ग्राहक कर सकते हैं या फिर ATM से नकदी निकालने के लिए ATM कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

शाखाओं में नकदी निकाली के ऐसे मामलों में, दृष्टिबाधित ग्राहक को शाखा टेलर को आवश्यक फोटो ID प्रमाण पत्र और पूरी तरह से भरी हुई चेक के साथ बैंक के आवश्यक अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने वाले प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। अशिक्षित ग्राहक जो डेबिट कार्ड या चेक बुक नहीं चाहते, वह केवल शाखाओं से लूज लीफ चेक और फोटो ID प्रूफ की प्रतियां का उपयोग करके नकदी निकाल सकते हैं, जो कि बैंक शाखा के अधिकारी द्वारा सत्यापन और अधिकृत के बाद होगा।

निकाली केवल रूपों में पूर्णतः राशि में की जा सकती है। बैंक केवल पर्सनलाइज्ड चेक के माध्यम से रूपों 50/- से अधिक राशि का नकद निकाली की अनुमति देगा। एक चेक से निकाली जा सकने वाली राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन इस तरह की निकाली शाखा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि बड़ी राशि (10 लाख रुपये से अधिक) के निकाली के लिए बैंक को पहले सूचित किया जाए ताकि बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सके।

ग्राहक ATM निकाली, चेक लीफ का उपयोग, DD / PO और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (RTGS / NEFT) सहित सीमित संख्या में मुफ्त लेनदेन के लिए योग्य हैं। ग्राहक को बैंक की वेबसाइट से या किसी भी वैध संचार चैनल के माध्यम से बैंक से संपर्क करके, वह मुफ्त लेनदेनों की संख्या की पुष्टि करनी होगी जिसके वह योग्य हैं। भारत सरकार ने बताया है कि 50,000 रुपये और उससे अधिक के किसी भी नकद जमा लेनदेन के लिए PAN विवरण (जहां ग्राहक के पास एक मान्य PAN नहीं है, तो फॉर्म 60/61) प्रदान करना अनिवार्य है।

उपभोक्ता उत्तरदायी उत्पाद के प्रकार के आधार पर, इन्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक पेयबल एट पार (PAP) चेक सुविधा प्रदान करता है। इन चेकों के साथ, उपभोक्ताओं को चेक का मुफ्त उपयोग करने की अनुमति होगी, चेक हमेशा लिखित रूप में होगा और सभी खाताधारकों को स्थानांतरण अनुरोध पत्र में हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए।

15. चेक बुक और लेनदेन



TRUE COPY



- उस खाते के लिए ऑपरेटिंग निर्देश के अनुसार इंस्ट्रुमेंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं
- चेक पर हस्ताक्षर विशेष खाते के बैंक रिकॉर्ड में हस्ताक्षर के अनुसार हैं।
- सभी फ्रीड्ड (भुगतानकर्ता, अंकों में राशि, शब्दों में राशि, दिनांक) पूरी तरह से भरे गए हैं
- चेक पुराना नहीं होना चाहिए (जमा करने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)
- किसी भी परिवर्तन के लिए चेक जारीकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है (अद्यतन RBI मानकों के तहत, चेक ट्रंक्शन सिस्टम के माध्यम से संसाधित चेक में परिवर्तन निषिद्ध हैं)। बैंक संदिग्ध प्रकृति के बदलाव पाए जाने पर चेक को अस्वीकार भी कर सकता है।

• खाते में चेक के लिए पर्याप्त निधि होनी चाहिए - ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में पर्याप्त निधि हो ताकि निधि की कमी के कारण चेक अस्वीकार न हो।

पर्याप्त निधि न होने के कारण अस्वीकृत किसी भी चेक पर बैंक से दंडात्मक शुल्क लग सकता है।

• ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चेक ट्रंक्शन प्रणाली के माध्यम से चेक प्रोसेसिंग के लिए निर्दिष्ट सभी आवश्यकताएँ लागू होंगी और ग्राहकों से उन दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। RBI चरणबद्ध

नियमों और शर्तों

नियमों से विभिन्न स्थानों पर चेक ट्रेंडेशन प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

यदि ग्राहक द्वारा दिया गया चेक अपर्याप्त निधि के कारण वापस कर दिया जाता है, तो बैंक द्वारा ग्राहकों से जुर्माना भी वसूला जा सकता है। यदि चेक वापस किए जाने की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, तो बैंक ग्राहक के खाते को ब्लॉक करने का अधिकार रखता है।

यदि कोई चेक खो जाता है / चोरी हो जाता है / भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है, तो ग्राहक बैंक से भुगतान रोक दिया जाए/का अनुरोध कर सकते हैं। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चेक को बैंक में प्रस्तुतीकरण करने से पहले ऐसे भुगतान रोकने के अनुरोध किए गए हैं। चेक के बैंक में प्रस्तुतीकरण किए जाने के पश्चात भुगतान रोकने का अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चेक के विरुद्ध किए गए किसी भी भुगतान रोकने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक ऐसे भुगतान रोकने के अनुरोधों के लिए ग्राहक पर शुल्क लगा सकता है (कृपया शुल्कों की अनुसूची देखें)। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक देयता उत्पाद के प्रकार के आधार पर पेपबल एट पार (PAP) चेक सुविधा प्रदान करता है। ये चेक ग्राहकों को किसी भी इक्विटास शाखा में उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देते हैं, और किसी भी इक्विटास शाखा में उनका समाशोधन स्थानीय समाशोधन के बराबर माना जाता है।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों के पास बैंक को अपने चेक प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प हैं, जैसे शाखा में सौंपना, शाखा में ड्रॉप बॉक्स का उपयोग करना, ATM स्थान पर ड्रॉप बॉक्स, आदि। ग्राहकों को चाहिए कि वे केवल शाखाओं पर पावती प्राप्त करें और ड्रॉप बॉक्स पर डालें गए कोई भी चेक का निर्णय ग्राहकों के विवेकाधिकार पर है। ग्राहकों को ड्रॉप बॉक्स में जमा किए गए चेक के लिए समाशोधन चक्र के बारे में सूचित किया जाता है, और ग्राहक बताए गए समय को स्वीकार करते हैं।

16. डिमांड ड्राफ्ट और पेऑर्डर्स

ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जारी करने के अनुरोध के लिए इक्विटास की किसी भी शाखा में जा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश जारी करने से जुड़ा कोई भी शुल्क (फीस की अनुसूची देखें) ग्राहक के खाते से डेबिट किया जाएगा और ग्राहक से वसूल किया जाएगा। शुल्कों का लाभ होना उस खाते के प्रकार और बैंक के साथ ग्राहक द्वारा बनाए गए संबंध पर निर्भर करता है।

यदि उपकरण खो गया है और (यदि) रद्द करने की आवश्यकता है, तो ग्राहक को उसी इक्विटास शाखा में जाना चाहिए जहाँ डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी किया गया था। किसी भी लागू शुल्क की कार्यवाही होने के बाद

धनराशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाएगी।

जब कोई ड्राफ्ट खो जाता है और ग्राहक इसे रद्द करने के लिए कहता है, तो उस ग्राहक को सभी संभावित दायित्वों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। इस मामले में, ग्राहक को बैंक की संतुष्टि के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करनी होगी। सभी दस्तावेजी कार्यवाही पूरी करने के बाद ही ड्राफ्ट को रद्द किया जाएगा और धनराशि ग्राहक के खाते में वापस स्थानांतरित की जाएगी। यदि खोया हुआ ड्राफ्ट पहले ही क्लियर हो चुका है या समाशोधन चक्र में है, तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विभिन्न बैंकों (कोरस्पोंडेंट बैंकों) और अन्य बैंकों के साथ स्थानीय समन्वय किया हुआ है ताकि उन स्थानों पर भी डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जा सके जहाँ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएँ नहीं हैं।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से DD's & PO's का जारी करने की सेवा प्रदान करता है। ऐसी सेवा, संबन्धित शुल्क और वितरण तंत्र के बारे में विवरण की घोषणा सेवा के रोलआउट से पूर्व सूचित किए जाएंगे।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक विभिन्न सेवाओं की रोलआउट पर समय सीमा लगाने और ग्राहक को पूर्व सूचना के बिना किसी भी चैनल के माध्यम से व्यवस्थित सेवाओं को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ड्राफ्ट के अनुरोध में दी गई किसी भी गलत जानकारी के लिए अंतिम जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। ड्राफ्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद ग्राहक को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ड्राफ्ट पर दिए गए विवरण सही हैं।

17. स्थायी अनुदेश

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एक निश्चित अवधि, राशि या किसी अन्य स्वीकार्य शर्त के लिए देयता खाते में निधि हस्तांतरण निर्देश निर्धारित करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जो स्थायी निर्देश आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की किसी भी शाखा में अनुरोध करना आवश्यक है।

यदि ग्राहक चुकाने के लिए स्थायी अनुदेश अस्वीकृत कर दिए जाते हैं तो इसे चेक वापसी के समतुल्य समझा जाता है और ग्राहक को संबन्धित उत्पादों के लिए निर्दिष्ट सभी आवश्यक शुल्क वहन करने होंगे।

जहाँ स्थायी निर्देशों का बार-बार/नियमित रूप से अनादर किया जाता है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त ग्राहक को यह सेवा रद्द करने

का अधिकार है।

ग्राहकों को यह ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए स्थायी निर्देश उपलब्ध नहीं हैं।

18. मोबाइल अलर्ट

सभी ग्राहक, जिनके मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं, विभिन्न प्रकार के बैंकिंग लेनदेन के लिए मोबाइल अलर्ट प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

ये अलर्ट सामान्यतः नकद निकाली, नकद जमा, फंड ट्रांसफर, फंड क्रेडिट, बैलेंस अलर्ट आदि के लिए प्रदान किए जाते हैं। जबकि बैंक ग्राहकों को अक्सर (या वित्तीय लेन-देन के आधार पर) अलर्ट भेजता है (पुश करता है), ग्राहक भी विशिष्ट जानकारी के लिए अनुरोध (पुल) कर सकते हैं।

बैंक इन अलर्ट्स को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर भेजता है ताकि ग्राहक को घटना के तुरंत बाद सूचित किया जा सके, हालांकि, पूरी सूचना के प्रसारण को पूर्ण करने के लिए बैंक विभिन्न तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहता है। इस संबंध में, दूरी से सूचना न प्राप्त होने के कारण ग्राहक तक सूचना पहुँचने में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।

ये मोबाइल अलर्ट्स के लिए लागू शुल्क उत्पाद की विशेषताओं, ग्राहक के बैंक के साथ संबंध और शुल्कों की अनुसूची में उल्लिखित अनुसार शुल्क लगेंगे। समय-समय पर शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं।

19. अधिक निकाली

विशेष रूप से ATM से नकदी निकाली, डेबिट कार्ड / चिप डेबिट कार्ड के माध्यम से व्यापारिक POS या नेट बैंकिंग के माध्यम से या लेन-देन का कोई अन्य उपलब्ध तरीके से, चेक का जारी करना या डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध करने से पहले, ग्राहक का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उसके खाते में बैंक के साथ हमेशा पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो।

यदि किसी ग्राहक द्वारा निर्धारित लेन-देन को बैंक द्वारा पर्याप्त शेष राशि की कमी के कारण स्वीकार नहीं किया जाता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि इस तरह के लेनदेन के निष्पादन के परिणामस्वरूप ग्राहक खाते में डेबिट शेष राशि होती है, तो बैंक को सभी डेबिट शेष राशि के लिए लागू ब्याज को 'डेबिट शेष राशि' के लिए लागू करने के लिए ग्राहक खाते में बचो हुई अवधि के लिए अनुसारित रूप से स्वतंत्र होगा। ग्राहक अपने खाते के उत्पन्न आवेदनावधि पर बैंक की लागू ब्याज दरों के

अनुसार ब्याज देने के लिए बाध्य है, भले ही यह किसी पूर्व व्यवस्था के तहत न हो। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर विचार कर, ग्राहक को कोई सूचना दिए बिना, संयुक्त रूप से या अलग-अलग, अन्य खातों में उपलब्ध किसी भी क्रेडिट के विरुद्ध ऐसे डेबिट शेष राशि को सेट ऑफ कर सकता है।

बैंक द्वारा ग्राहक को उसके खाते पर 'ओवरड्राइंग' के संबंध में दी जाने वाली किसी अस्थायी राहत पूरी तरह से बैंक के विवेकाधिकार पर होगी और यह केवल एक बार की सुविधा के रूप में लागू होगी, और इसे भविष्य में समालेन-देनों के लिए मंजूरी के रूप में न लिया जाना चाहिए, जब तक बैंक और ग्राहक के बीच लिखित रूप में अन्यथा स्पष्ट रूप से सहमति न हो।

20. संग्रह सुविधा

बैंक ग्राहक के लिए बनाए गए चेकों को संग्रह हेतु स्वीकार करता है। बैंक की चेक संग्रहण नीति इसकी 'पेक/इस्ट्रूमेंट के संग्रहण पर नीति' द्वारा संचालित होती है, जो शाखा में उपलब्ध है। ग्राहक को ध्यान देना चाहिए कि बैंक के स्थानीय चेक और बाहरी चेक स्वीकृति के लिए कटऑफ समय बैंक शाखाओं की नोटिस बोर्ड और ड्रॉप बॉक्स पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

ड्राफ्ट/क्रेडिट ट्रांजिट के दौरान चेक के खो जाने/कटे-फटे हो जाने/विलोपित हो जाने के कारण ग्राहक को होने वाली किसी भी नुकसान/हानि के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और इसलिए कोई दायित्व भी नहीं लेता है। बैंक का कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि चेक पर हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता को सत्यापित करना या इंस्ट्रूमेंट के पारित होने के लिए समय की जांच करना। जो क्रेडिट होता है वह खाते में परिलक्षित होता है।

21. दरवाजे पर बैंकिंग

इक्विटास ने बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से ग्राहकों की सुविधा के लिए अपने बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के 'दरवाजे' तक विस्तारित किया है। यह सुविधा केवल खाताधारकों / मंडेट धारकों को ग्राहक के पंजीकृत पते (बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार) पर प्रदान की जाती है और यह देश भर के चुने हुए स्थानों में शहर की सीमाओं के भीतर उपलब्ध होगी। किसी स्थान की सीमाएं और दरवाजे पर बैंकिंग सेवा का स्थान बैंक का एकमात्र अधिकार है और यह कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें व्यवहार्यता और योग्य एजेंसियों की उपलब्धता शामिल हैं।

ग्राहक निम्नलिखित दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।



नियमों और शर्तों

- नकद की पिक-अप
- चेक की पिक-अप
- नकद की डिलीवरी

उपरोक्त प्रत्येक सेवा के लिए सीमाएं बैंक द्वारा अवस्थिति के अनुसार निर्धारित की गई हैं और ग्राहक को इन पूर्व-निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा। सेवाओं के लिए, शुल्क अनुसूची में परिभाषित अनुसार, शुल्क ग्राहकों से वसूला जाता है।

विभिन्न एजेंसियों के सभी कर्मचारी, जो दरवाजे पर बैंकिंग की कार्यक्षमता करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं, और लेन-देन करने से पहले पहचान की पुष्टि करना ग्राहक की पूर्ण जिम्मेदारी है। ग्राहकों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पावती की प्रतियाँ सुरक्षित रखी जाएँ जब तक कि उनके खते में लेन-देन का दर्शा नहीं जाता। किसी भी तरह की विसंगति होने पर ग्राहकों को तुरंत नजदीकी शाखा से संपर्क करना चाहिए और उन्हें सूचित करना चाहिए।

ग्राहकों को नकदी उठाने और चेक उठाने के लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का सम्मान करना चाहिए। इनका स्पष्ट रूप से समझौते में उल्लिखित की गई है। ग्राहक को नकद संवितरण ग्राहक के खते से राशि डेबिट करने के बाद ही संसाधित किया जाता है और धनकी अनुपलब्धता का मतलब है कि लेनदेन संसाधित नहीं किया जा सकता है।

इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक यह सेवाएं ग्राहक और बैंक के बीच उचित तरीके से निष्पादित दरवाजे पर बैंकिंग समझौते के बाद प्रदान करता है, और सभी सेवाओं, समयसीमाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विवरण इस समझौते में विस्तृत रूप से उल्लेखित हैं। ग्राहकों को इस दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निष्पादित करना आवश्यक है। इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें, गैर-डिलीवरी, जाली नोटों की पहचान, आदि के कारण किसी भी हानि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

22. ID पर ऋण

इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों को मौजूदा मीयादी जमा पर ऋण सुविधा प्रदान करता है। ऐसे ऋणों से संबंधित व्याज दरें और अन्य शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं।

इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ID पर ऋण प्रदान करते समय एक निश्चित मांजिन पर विचार करता है। यह मांजिन संबंध और अन्य कारकों के आधार पर ग्राहक से ग्राहक

के बीच भिन्न होता है। ऋण स्वीकृत होने पर, अंतर्निहित मीयादी जमा पर गृहणाधिकार अंकित कर दिया जाएगा, जो इंगित करेगा कि जमा राशि ऋण के लिए सुरक्षा है।

किसी भी ID पर ऋण सुविधा देते समय मौजूदा मीयादी जमा को सुरक्षा के रूप में माना जाता है और यदि वह मीयादी जमा, जिसके ऊपर ऋण प्रदान किया गया था, वह न्यूनतम परिपक्वता अवधि से पहले वापस ले लिया जाता है, तो ऐसी अग्रिम राशि को मीयादी जमा पर ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ID पर ऋण और अन्य ऋणों के लिए व्याज दरें भिन्न होती हैं।

23. सुपन्न खाता

इविट्टास एक खाता को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकता है:

- निष्क्रिय - यदि खते में लगातार 12 महीनों तक कोई ग्राहक-प्रवर्तित लेनदेन नहीं हुआ है।

- सुपन्न - यदि खते में लगातार 24 महीनों तक कोई ग्राहक-प्रवर्तित लेनदेन नहीं हुआ है, अर्थात् खाता निष्क्रिय होने के बाद 12 महीनों तक कोई ग्राहक-प्रवर्तित लेनदेन नहीं हुआ है।

ग्राहक-प्रवर्तित लेनदेन का मतलब है कि ग्राहक द्वारा अपनेखते में किया गया कोई भी क्रेडिट या डेबिट लेनदेन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- नकद जमा या निकासी
- ATM से नकद निकासी
- नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/फोन बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन

- चेक या अन्य इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से किए गए लेनदेन

- ECS क्रेडिट या डेबिट

- RTGS और NEFT

- स्थायी अनुदेश

यदि किसी खते को निष्क्रिय या सुपन्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे खते में क्रेडिट और डेबिट की अस्थायी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा में ग्राहक और ग्राहक/सभी संयुक्त

खाताधारक, जहां लागू हो) की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, KYC से संबंधित दस्तावेज़ जमा करवा जाने की आवश्यकता है। इविट्टास स्मॉल फाइनेंस बैंक इस प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा ताकि ग्राहकों को असुविधा का सामना न करना पड़े और नियमों से समझौता न करना पड़े।

इस सुपन्नता के दौरान अन्य वैकल्पिक चैनलों जैसे ATM, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आदि के माध्यम से लेनदेन ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इस संबंध में लिखित अनुरोध के साथ सभी आवश्यक KYC दस्तावेज़ उपलब्ध कराने और लेनदेन शुरू करने के बाद ही खाता सक्रिय किया जाएगा।

24. मनोनयन

मनोनयन सुविधा सभी बचत बैंक खातों के लिए उपलब्ध है। किसी भी पद धारक की ओर से रखे गए खातों के लिए मनोनयन प्राप्त नहीं किया जा सकता।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खाता खोलते समय विशेष रूप से एकल व्यक्तिगत खातों के लिए मनोनयन विवरण प्रदान करें। एकमात्र व्यक्तिगत खातों की स्थिति में, जहां ग्राहक कोई मनोनयन विवरण प्रदान नहीं करता चाहता है, इसका उल्लेख केवल AOF में किया जाना चाहिए और ग्राहक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

मनोनयन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही किया जा सकता है। यदि मनोनीत व्यक्ति नाबालिग है, तो मनोनीत व्यक्ति के नाबालिग होने के दौरान दावा की गई धनराशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वयस्क व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए।

नाबालिग खाते के मामले में, कानूनी रूप से हक्दार व्यक्ति को नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए मनोनयन करना चाहिए। नाबालिगों द्वारा संचालित नाबालिग खातों को मनोनयन की सुविधा नहीं दी जाती है।

ग्राहक अपने जीवनकाल के दौरान खते में मनोनयन शामिल कर सकता है या मौजूदा मनोनयन विवरण को परिवर्तन/संशोधन कर सकता है। संयुक्त खाते के मामले में मनोनयन विवरण में किसी भी बदलाव के लिए सभी खाताधारकों की अनुमति की आवश्यकता होती है। मनोनयनजमा करते समय या मनोनयन विवरण को संशोधन/परिवर्तन करते समय एक गवाह की आवश्यकता होती है और मनोनयन फॉर्म पर गवाह के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं।

ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए मनोनयन या मौजूदा मनोनीत व्यक्ति के विवरण में परिवर्तन/संशोधन के

लिए ऐसे सभी लेनदेन का पावती उसे मिले। मनोनीत व्यक्ति को एकमात्र व्यक्तिगत खाते में खाताधारक की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाते के मामले में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर ही बैंक से लागू भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

25. मृत्यु या अक्षमता

जिन मामलों में एकल खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या उसे अक्षम घोषित किया जाता है, वहां खाते की शेष राशि केवल पंजीकृत नामित व्यक्ति को ही को ही हस्तांतरित की जाएगी। जहां कोई मनोनीत व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, वहां बैंक को मामले को प्रत्येक मामले पर विचार करना होगा और खाते की शेष राशि केवल कानूनी वारिसों या अदालत द्वारा नामित व्यक्ति को ही सौंपी जाएगी।

यदि किसी भी संयुक्त खाता धारक या खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी की मृत्यु हो जाती है या उसे अक्षम घोषित कर दिया जाता है, तो ग्राहक को तुरंत बैंक को सूचित करना आवश्यक है।

इविट्टास ऐसे खातों पर रोक लगा सकता है और सभी लेन-देन को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी की पहचान और प्रमाणीकरण बैंक की संतुष्टि के अनुसार सत्यापित नहीं हो जाते।

26. नियम में परिवर्तन

नियम और शर्तों में परिवर्तन RBI / GOI के नियमों / विनियमों में बदलाव, बैंक द्वारा किसी सुविधा / उत्पाद को जोड़ने या हटाने या किसी अन्य कारण से किए जा सकते हैं, जो बैंक को मौजूदा नियम और शर्तों में संशोधन के लिए उचित लगे।

बैंक अपने विवेक से समय-समय पर नियम और शर्तें बदल सकता है। परिवर्तनों में नए नियम और शर्तें जोड़ना, मौजूदा नियम और शर्तों को हटाना, मौजूदा नियमों और शर्तों में संशोधन करना शामिल हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

बैंक अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य उपलब्ध संचार के माध्यम से परिवर्तनों के बारे में सूचित कर सकता है। ग्राहक नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट की जांच करके नियमों और शर्तों पर खुद को अपडेट रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

27. गैर अंतरणयता



TRUE COPY

नियमों और शर्तों

बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान किया गया खाता और सेवाएँ किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं हैं और केवल ग्राहक द्वारा ही उपयोग की जाएगी। यद्यपि बैंक इसे हस्तांतरित करने, आवंटित करने या बेचने का अधिकार सुरक्षित रखता है; किसी अन्य व्यक्ति को लाभ या दायित्व और ये नियम और शर्तें बैंक के उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों के लाभ के लिए लागू रहेंगी।

28. नोटिस

खाते के संबंध में खाते, सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में नोटिस इविचिटास द्वारा या तो ग्राहकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर ईमेल के माध्यम से दिए जा सकते हैं या ग्राहकों के पंजीकृत मेलिंग पते पर एक पत्र भेजकर दी जा सकती हैं। कोई भी नोटिस इविचिटास वेबसाइट पर नोटिस पोस्ट करके या शाखाओं में प्रदर्शित करके दिया जा सकता है और इसे ग्राहक द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

29. अधिपत्या

इविचिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल उन शुल्कों को खाते पर लगाता है जो ग्राहक को विभिन्न चैनलों - शाखा प्रदर्शन, बैंक वेबसाइट, नियम और शर्तें, और भौतिक मेसर्स के माध्यम से पहले से ही सूचित किए गए शुल्क अनुसूची के अनुसार होते हैं। किसी भी परिस्थिति में इन शुल्कों को माफ नहीं किया जा सकता है। किसी भी छूट का अधिकार पूरी तरह से बैंक के पास होता है और इसे केवल तकनीकी कारणों से खाते में किसी भी विसंगति/गलत डेबिट के मामले में ही लागू किया जा सकता है। ग्राहकों को किसी भी ऐसी विसंगति के सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक को सूचित करना आवश्यक है। ग्राहक बैंक से संपर्क केंद्र के माध्यम से या अपनी संबंधित शाखा पर संपर्क कर सकते हैं और सुधार के लिए आवश्यक समय की अनुमति दें सकते हैं।

30. क्षतिपूर्ति

ग्राहक किसी भी हानि से इविचिटास को क्षतिपूर्ति करेगा, जो खाते या बैंक की सेवाओं के दुरुपयोग से उत्पन्न हो सकती है।

ग्राहक को खाते या सेवाओं के संबंध में किसी भी नुकसान के लिए और न ही इन शर्तों में निहित किसी भी दायित्व को पूरा करने में किसी विफलता के लिए, या ग्राहक द्वारा भुगतानी गई या होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए, इविचिटास उत्तरदायी नहीं होगा।

ग्राहक को यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि उसने इविचिटास के साथ अपने खाते की स्थापना के संबंध में किसी भी प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में सभी प्रयुक्त कानूनों और विनियमों का पूरा अनुपालन किया है और वह

इविचिटास को उन सभी कार्यों, कार्यवाही के दावों, नुकसानों, क्षतिपूर्ति, लागतों और व्ययों सभी से इविचिटास को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा जो इविचिटास द्वारा ऐसे किसी भी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करने में किसी भी विफलता के संबंध में किए जा सकते हैं।

क्षतिपूर्ति खाते की समाप्ति के बावजूद पूर्वोक्त के रूप में यह जारी रहेगी। अगर कोई लेन-देन पूरी नहीं होती या बैंक की ओर से जो कोई भी कार्य नहीं किया जाता हो, तो बैंक उस पर किसी भी जिम्मेदारी का अपेक्षा से नहीं होगा, चाहे वह उनकी शर्तों के तहत हो या उनकी सेवाओं / सुविधाओं के लिए विशिष्ट रूप से लागू हो, अगर कोई विशेष प्रकार का कार्य किसी आधिकारिक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं किया गया हो, या यदि बलपूर्वक घटित होते हुए किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण यह कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है या देरी होती है, तथा ऐसी स्थिति में बैंक के दायित्व तब तक निलंबित रहेंगे, जब तक अप्रत्याशित घटना जारी रहती है।

31. कोई रूकावट नहीं

ग्राहक को सुनिश्चित करना होगा कि बैंक के साथ स्पष्टलिखित समझौते के बिना खाते पर (जिसमें खाते में उपलब्ध क्रेडिट भी शामिल है) कोई रूकावट / तीसरे पक्ष काहित नहीं बनाई जाती / अनुमति नहीं दी जाती है।

32. शासी कानून और कानूनी क्षेत्राधिकार

बैंक के पास खातों के संचालन या ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए नियम और शर्तें केवल भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा नियंत्रित की जाएंगी। किसी भी विवाद / दावों / मुद्दों को केवल चेन्नई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों / न्यायाधिकरणों मंलाया जाएगा। हालांकि बैंक किसी भी न्यायालयों / न्यायाधिकरणों / प्राधिकरणों में किसी भी ग्राहक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का अधिकार रिजर्व रखता है और ग्राहक इस अधिकार क्षेत्र के लिए सहमति देता है।

यदि इन नियमों एवं शर्तों का कोई प्राधान कानूनी रूप से अमान्य / अप्रवर्तनीय / प्रतिबंधित हो जाता है, तो ऐसी अप्रवर्तनीयता केवल उसी प्राधान पर लागू होगी और शेष नियमों एवं शर्तों के प्राधानों को अमान्य नहीं करेगी।

33. जानकारी साझा करना/प्रकटीकरण

बैंक के साथ कोई भी खाता खोलने और बनाए रखने से ग्राहक बैंक को सहमति देता है कि बैंक ग्राहक के खाता /व्यक्तिगत जानकारी को बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के साथ किसी भी ऐसी एप्लिकेशन के साथ साझा / खुलासा कर सकता है जिसका अधिकार ऐसी जानकारी तक पहुंचने

का हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)
2. भारत सरकार अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि/निकाय के माध्यम से
3. न्यायालय/जांच एजेंसियां
4. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (SEBI)
5. स्टॉक एक्सचेंजों के प्राधिकृत प्रतिनिधि
6. लेखा परीक्षक, पेशेवर सलाहकार
7. तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं के साथ, जिनके साथ बैंक ने 'सेवाओं/उत्पादों' पर कानूनी अनुबंध निष्पादित किया है और जिन्हें जानकारी तक पहुंचने की आवश्यकता होगी।
8. कोई अन्य कानूनी संस्था/प्राधिकृत व्यक्ति जो ऐसी जानकारी का हकदार है
9. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो

बैंक को ग्राहक, उनके खातों / वित्तीय स्थिति के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, किसी भी उपलब्ध स्रोत से, जैसा कि बैंक उचित समझता है।

इविचिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहक की संपर्क जानकारी का उपयोग सेवा और प्रचार दोनों उद्देश्यों के लिए करता है। इस वजह से, इविचिटास इस ग्राहक की जानकारी बैंक की किसी अन्य समूह कंपनी(ओं) की अन्य शाखा या किसी अन्य तीसरे पक्ष को प्रतिबंधों (इविचिटास द्वारा प्रदान की गई ग्राहक जानकारी के उपयोग पर) के अधीन प्रदान कर सकता है। खाता खोलते समय, इविचिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को इस संबंध में ग्राहक की स्पष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

मैं / हम ESFB के साथ खाता खोलने के लिए आवश्यकनियम और शर्तें पढ़ा है और समझा है। मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि विविध सेवाओं संबंधित विस्तृत नियम और शर्तें जैसे (a) ATM, (b) फोन बैंकिंग, (c) डेबिट कार्ड, (d) मोबाइल बैंकिंग, (e) नेट बैंकिंग, (f) बिल भुगतान सुविधा, (g) इंस्टा अलर्ट सुविधा, (h) ईमेल स्टेटमेंट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या तो संदर्भ के लिए मैं/हम शाखा से नियम और शर्तों की प्रति का अनुरोध कर सकते हैं। मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि इस खाते/संबंध को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों में कोई भी परिवर्तन/अपडेट केवल वेबसाइट